

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—35/19 (2019/00069) वादपत्र

अनवान

1. गोपीलाल पिता माना खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बंशीलाल पिता गोपीलाल खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. डालचन्द पिता गोपीलाल खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रामेश्वरलाल पिता गोपीलाल खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामप्रकाश पिता गोपीलाल खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लादुलाल पिता सोहनलाल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता सोहनलाल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगन्नाथ पिता सोहनलाल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मंजु पुत्री सोहनलाल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भैरू पिता नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. उदयराम पिता नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मदन पिता नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. जगदीश पिता नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पानीदेवी पुत्री नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रामेश्वर पिता सुरजमल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. किशना पिता सुरजमल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. कंचन पुत्री सुरजमल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. बदामी बेवा सुरजमल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. घीसा पिता लक्ष्मण खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. जीवण पिता लक्ष्मण खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 13.08.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 30.07.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम बोराणा पटवार हल्का बोराणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के संयुक्त खातेदारी अधिकार कृषि आराजियात खाता संख्या 1032 में अकिंत आराजी संख्या 733 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 737 रकबा 0.76 है0, आराजी संख्या 738 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 739 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 740 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 741 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 742 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 743 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 744 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 745 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 746 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 747 रकबा 0.15 है0,

आराजी संख्या 748 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 754 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 755 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 756 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 757 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 758 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 759 रकबा 0.24 है0, आराजी संख्या 760 रकबा 0.40 है0, कुल किता 20 कुल रकबा 4.34 है0 भूमियां में वादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 से 5 का 9/40 हिस्सा है अर्थात् सम्पूर्ण कृषि भूमियों में 13/40 हिस्से का कब्जे को मध्यनजर रखते हुए बाई मीट्स बोर्ड्स के आधार पर विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड में खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 20.07.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोरणा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रस्तावित आराजी संख्या 738 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 739 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 741 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 742/1 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 755 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 756 रकबा 0.18 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.25 है0 भूमि गोपीलाल पिता माना 4/13 बंशीलाल डालचन्द रामेश्वरलाल रामप्रकाश पिता गोपीलाल 9/13 खटीक सा. खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 737 रकबा 0.76 है0, आराजी संख्या 740 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 742/2 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 743 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 745 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 746 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 747 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 748 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 754 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 757 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 758 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 760 रकबा 0.40 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 2.60 है0 भूमि लादुलाल नारायण जगन्नाथ पिता सोहन मंजु पुत्री सोहन टीपुदेवी पत्नि सोहन नंगजी पिता माना रामेश्वर किशना पिता सुरजमल कंचन पुत्री सुरजमल बदामी बेवा सुरजमल 12/27 घीसा पिता लछमण 5/27 जीवन पिता लछमण 10/27 खटीक सा. खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 733 रकबा 0.122 है0 गे.मु. सड़क, आराजी संख्या 744 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 759 रकबा 0.24 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Am
13.8.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला न्यायालय

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—35/19 (2019/00069) वादपत्र

अनवान

1. गोपीलाल पिता माना खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बंशीलाल पिता गोपीलाल खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. डालचन्द पिता गोपीलाल खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. रामेश्वरलाल पिता गोपीलाल खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. रामप्रकाश पिता गोपीलाल खटीक निवासी रामा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. लादुलाल पिता सोहनलाल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता सोहनलाल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जगन्नाथ पिता सोहनलाल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. मंजु पुत्री सोहनलाल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. भैरु पिता नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. उदयराम पिता नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. मदन पिता नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. जगदीश पिता नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. पानीदेवी पुत्री नंगजी खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. रामेश्वर पिता सुरजमल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. किशना पिता सुरजमल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. कंचन पुत्री सुरजमल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. बदामी बेवा सुरजमल खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. घीसा पिता लक्ष्मण खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. जीवण पिता लक्ष्मण खटीक निवासी बोराणा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम बोराणा तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आबादी मे प्रस्तावित



आराजी संख्या 738 रकबा 0.43 है0, आराजी संख्या 739 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 741 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 742/1 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 755 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 756 रकबा 0.18 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 1.25 है0 भूमि गोपीलाल पिता माना 4/13 बंशीलाल डालचन्द रामेश्वरलाल रामप्रकाश पिता गोपीलाल 9/13 खटीक सा. खातेदार तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 737 रकबा 0.76 है0, आराजी संख्या 740 रकबा 0.08 है0, आराजी संख्या 742/2 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 743 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 745 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 746 रकबा 0.22 है0, आराजी संख्या 747 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 748 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 754 रकबा 0.11 है0, आराजी संख्या 757 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 758 रकबा 0.32 है0, आराजी संख्या 760 रकबा 0.40 है0, कुल किता 12 कुल रकबा 2.60 है0 भूमि लादुलाल नारायण जगन्नाथ पिता सोहन मंजु पुत्री सोहन टीपुदेवी पत्नि सोहन नंगजी पिता माना रामेश्वर किशना पिता सुरजमल कंचन पुत्री सुरजमल बदामी बेवा सुरजमल 12/27 घीसा पिता लछमण 5/27 जीवन पिता लछमण 10/27 खटीक सा. खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 733 रकबा 0.122 है0 गे. मु. सड़क, आराजी संख्या 744 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 759 रकबा 0.24 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.49 है0 भूमि शामलाती बदस्तुर जमाबन्दी रखते हुए रेकार्ड कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 13.08.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



Deans
13-08-2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला न्यायालय
रायपुर जिला न्यायालय

